



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या ४७
१ पौष १९४३ (श०)
पटना, बुधवार, —————
२२ दिसम्बर २०२१ (ई०)

विषय-सूची	पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-१-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	२-९	
भाग-१-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---	
भाग-१-ख-मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-१ और २, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डीप०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---	
भाग-१-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---	
भाग-२-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	१०-१०	
भाग-३-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---	
भाग-४-बिहार अधिनियम	---	
भाग-५-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---	
भाग-७-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---	
भाग-८-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---	
भाग-९-विज्ञापन	---	
भाग-९-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---	
भाग-९-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	११-११	
पुरक	---	
पुरक-क	१२-१३	

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचनाएं

24 नवम्बर 2021

सं० ग्रा०वि०-14(द०)सम-01/2019-640513--श्री संजीव कुमार, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उजियारपुर, समस्तीपुर के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक-05(मु०)/विकास दिनांक 16.02.2019 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ। उक्त आरोप पत्र में वर्णित आरोपों पर श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 347861 दिनांक 31.12.2020 द्वारा 'असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक' का दंड अधिरोपित किया गया है।

उक्त दंड के विरूद्ध श्री कुमार द्वारा प्रखंड कार्यालय, परिहार, सीतामढ़ी के पत्रांक-04(मु०) दिनांक 30.01.2021 से पुनर्विचार अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। विभाग द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री कुमार के पुनर्विचार अभ्यावेदन में कोई भी नया तथ्य अंकित नहीं किया गया है।

अतः समीक्षोपरान्त श्री कुमार के पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुये इस मामले को संचिकास्त किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:--आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

6 दिसम्बर 2021

सं० ग्रा०वि०-14(विविध)-03/2021-655040--श्री श्याम कुमार, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तारापुर, मुंगेर के विरूद्ध बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी (सामान्य प्रशासन विभाग) के पत्रांक-51 दिनांक 08.01.2021 द्वारा आरोप प्राप्त है। आरोप में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दायर परिवाद की सुनवाईयों में अनुपस्थित रहने का आरोप प्रतिवेदित है।

उक्त प्रतिवेदित आरोप पर श्री कुमार से स्पष्टीकरण प्राप्त है जिसमें उनके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि कोविड पोजेटिव होने के कारण उक्त तिथि को सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हुए।

श्री कुमार के विरूद्ध बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि कोविड पोजेटिव होने के कारण वाद की सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए।

अतः श्री श्याम कुमार, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तारापुर, मुंगेर सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी कोढ़ा कटिहार को भविष्य के लिए सचेष्ट किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:--आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

6 दिसम्बर 2021

सं० ग्रा०वि०-14(विविध)-03/2021-655067--श्री अमित कुमार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, असरगंज, मुंगेर के विरूद्ध बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी (सामान्य प्रशासन विभाग) के पत्रांक- 51 दिनांक 08.01.2021 द्वारा आरोप प्राप्त है। आरोप में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दायर परिवाद की सुनवाईयों में अनुपस्थित रहने का आरोप प्रतिवेदित है।

उनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना से संबंधित अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, तारापुर के परिवाद संख्या-524310114102001628 परिवादी श्री सरयुग सिंह, पे0-कारू सिंह, ग्राम-सरौन, प्रखंड-असरगंज की सुनवाई की तिथि 30.12.2020 को उपस्थित होकर परिवादी से संबंधित वाद का निवारण कराया गया। लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, तारापुर के द्वारा अंतिम आदेश के प्रथम अंश में अंकित है कि लोक प्राधिकार सुनवाई के दौरान उपस्थित हैं। आदेश के अंतिम अंश में अंकित है कि 'उभय पक्षों को सुनने, प्राप्त प्रतिवेदन/संलग्न कागजातों के अवलोकनोपरांत विनिश्चय है कि लोक प्राधिकार-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, तारापुर द्वारा परिवाद का निराकरण कर दिया गया है।'

श्री कुमार के विरुद्ध बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि वाद की सुनवाई में दिनांक 02.12.2020 एवं 16.12.2020 को उपस्थित नहीं थे किन्तु दिनांक 30.12.2020 को सुनवाई में उपस्थित होकर परिवादी से संबंधित वाद का निराकरण कराया गया।

अतः श्री अमित कुमार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, असरगंज, मुंगेर को भविष्य के लिए सचेष्ट किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:--आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

7 दिसम्बर 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (विविध)-03/2021-657021--श्री राकेश कुमार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अमरपुर, बाँका के विरुद्ध बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी (सामान्य प्रशासन विभाग) के पत्रांक-51 दिनांक 08.01.2021 द्वारा आरोप प्राप्त है। आरोप में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दायर परिवाद की सुनवाई में अनुपस्थित रहने का आरोप प्रतिवेदित है।

उक्त प्रतिवेदित आरोप पर श्री कुमार से स्पष्टीकरण प्राप्त है जिसमें उनके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि परिवाद संख्या 9999601200092070372 की सुनवाई में अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 24.12.2020 को विधि व्यवस्था संबंधी कार्य में व्यस्तता थी। यद्यपि इस परिवाद पत्र से संबंधित प्रतिवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी, अमरपुर के पत्रांक-1353 दिनांक 21.12.2020 से निर्धारित तिथि को उपस्थित होकर दाखिल करने हेतु इंदिरा आवास पर्यवेक्षक को भेजा गया। आवास पर्यवेक्षक द्वारा प्रतिवेदन सुनवाई में उपस्थित होकर जमा किया गया।

श्री कुमार के विरुद्ध सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि वाद की सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए। किन्तु आवास पर्यवेक्षक को प्रतिवेदन के साथ सुनवाई में उपस्थित रहने को भेजा गया।

अतः श्री राकेश कुमार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अमरपुर, बाँका को भविष्य के लिए सचेष्ट किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:--आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

16 दिसम्बर 2021

सं० भा०व०से० (स्था०)-15/2019 (खण्ड)-4578/प०व०—श्री राज कुमार एम., भा०व०से०, (BH:19), जो, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वैवाहिक आधार पर संवर्ग परिवर्तन के फलस्वरूप नागालैंड

सरकार से विरमित होकर बिहार राज्य संवर्ग में दिनांक-01.12.2021 को योगदान के पश्चात पदस्थापन की प्रतीक्षा में थे, को अगले आदेश तक संलग्न पदाधिकारी, रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

13 दिसम्बर 2021

सं० ई२-2-19/2021-55—बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 64वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार निर्वाचन सेवा के अवर निर्वाचन पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग, पटना का पत्रांक- 7ए/सं०प्र० परीक्षा-01-01/2018 (09) लो०से०आ०/गो० दिनांक 12.07.2021 द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित अनुशंसित अभ्यर्थियों को बिहार निर्वाचन सेवा के अवर निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर वेतनमान लेवल-9 (₹53,100-₹1,67,800/-) में औपबधिक रूप से नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तंभ-7 में अंकित कार्यालय में अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) के रूप में पदभार ग्रहण की तिथि से निम्नांकित शर्तों के साथ पदस्थापित किया जाता है—

क्र०सं०	अभ्यर्थी का नाम एवं मेधा क्रमांक	आरक्षण कोटि	गृह जिला	जन्म तिथि	स्थायी पता	प्रस्तावित पदस्थापन कार्यालय	फोटो
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री अभिषेक आनंद, 41	सामान्य	पटना	14.12.1993	पिता—श्री शिव शंकर प्रसाद, पता—C/o- एस०एस० प्रसाद, जय महावीर कॉलोनी, संदलपुर, महेन्द्र, पटना-800006	अनुमंडल कार्यालय, फुलपरास, मधुबनी	
2	श्री विवेक यादव, 45	सामान्य	उत्तर प्रदेश	01.03.1992	पिता—श्री वीर पाल सिंह यादव, पता—582/1176, बदाली खेड़ा, नियर—कुमार ट्रेडर्स, टी०पी० नगर, मेट्रो स्टेशन, थाना—सरोजनी नगर, पो०—मानसनगर, जिला—लखनऊ, उत्तर प्रदेश, पिन—226023	अनुमंडल कार्यालय, सिकरहना, पूर्वी चम्पारण	
3	श्री अभिषेक नन्द, 138	पिछड़ा वर्ग	पूर्णांच	11.11.1994	पिता—स्व० नन्द किशोर यादव, पता—WW.068 .0231, लॉ कॉलेज से दक्षिण, जयप्रकाश नगर (सुख नगर), थाना—के हाट, पो०—पूर्णांच, पिन—854301	अनुमंडल कार्यालय, त्रिवेणीगंज, सुपौल	

4	सुश्री/श्रीमती ओनम कुमारी, 173	सामान्य	पटना	13.06.1996	पिता-श्री लाल बाबु चौबे, C/o-श्री बिजेन्द्र प्रताप सिंह, लेन नं०-1, शिवपुरम, विजयनगर, पो०-बी०भी० कॉलेज, थाना-रूपसपुर, पटना-800014	अनुमंडल कार्यालय, तेघड़ा, बेगूसराय	
5	सुश्री/श्रीमती सृष्टि प्रिया, 850	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पटना	08.02.1994	पिता-श्री शैलेन्द्र कुमार गुप्ता, बलीपुर, पीपलटाल, थाना-बाढ़, पो०-बाढ़, जिला-पटना, पिन-803213	अनुमंडल कार्यालय, मुजफ्फरपुर, पश्चिम	
6	सुश्री/श्रीमती दिव्या, 1152	अनुसूचित जनजाति	औरंगाबाद	27.02.1991	पिता- श्री ओम प्रकाश विश्वकर्मा, पता- ग्राम-महाराजगंज, थाना- कुटुंबा, पो०-कुटुंबा, जिला- औरंगाबाद, पिन-824123	अनुमंडल कार्यालय, तारापुर, मुंगेर	
7	श्री आशुतोष मिश्रा, 2006	सामान्य (दिव्यांग)	सीतामढ़ी	30.07.1989	पिता-श्री संजय मिश्रा, ग्राम+पो०-चकौती, थाना-नानपुर, जिला-सीतामढ़ी, पिन-847307	अनुमंडल कार्यालय, धमदाहा, पूर्णियाँ	

1. यह नियुक्ति इस शर्त के साथ की जाती है कि अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तब नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों की सेवा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जायेगी एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

2. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शपथ-पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों को सही मानकर इस शर्त पर की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य-चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

4. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

5. योगदान के समय अभ्यर्थियों को शराब का सेवन नहीं करने, साथ ही दूसरे लोगों को भी शराब से दूर रहने के लिए प्रेरित करने का शपथ-पत्र विहित प्रपत्र में समर्पित करना आवश्यक होगा।

6. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं०-1964 दिनांक-31.08.2005 एवं 768 दिनांक-03.07.2007 के अनुसार नवनियुक्त पदाधिकारियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

7. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान करने हेतु पदस्थापित स्थान पर आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

8. अभिप्राणित फोटोंयुक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा। योगदान के समय अभ्यर्थी को आयोग में आवेदन पत्र में दिये गये फोटो की प्रति समर्पित करना अनिवार्य होगा अन्यथा ऐसे अभ्यर्थी का योगदान स्वीकार नहीं किया जायेगा।

9. नवनियुक्त पदाधिकारी को पदस्थापित कार्यालय का प्रभार ग्रहण करने के समय संबंधित कार्यालय को विहित प्रपत्र में चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा निश्चित रूप से समर्पित करना होगा।

10. इनकी पारस्परिक वरीयता बिहार लोक सेवा द्वारा अनुशंसित मेधा क्रमानुसार होगी।

11. सभी नवनियुक्त अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) दिनांक 28.12.2021 तक नवपदस्थापित पद का प्रभार ग्रहण कर विभाग को दो प्रतियों में प्रभार प्रतिवेदन अपने नियंत्री पदाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त निश्चित रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

एच० आर० श्रीनिवास,

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार-सह-प्रधान सचिव।

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

आदेश

16 दिसम्बर 2021

सं० एल/एच०जी०-14-08/2021-10131/सी०-श्री जयंत कुमार, समादेष्टा, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, बिहटा के दिनांक-31.10.2021 के अपराहन में सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1829 वि०(2), दिनांक-07.04.2005 के आलोक में वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-1024(23), दिनांक-10.09.2021 द्वारा संसूचित अवकाश आदेयता के आधार पर 300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस आदेश में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
अनिमेश पाण्डेय, संयुक्त सचिव।

VIGILANCE DEPARTMENT

BIHAR, PATNA

FORM No. I

DECLARATION

The 26th November 2021

(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010)

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-11/2021--5388---WHEREAS, It is alleged that **Sri Om Prakash Prasad, the then ADM, Begusarai, S/o Sri Parma Prasad, Vill.- Hasanpura, P.S. - Andar, Distrcit-Siwan, At Present - Ramjaipal Nagar Road, Near Jalalpur City, Ward No. - 40, P.S. - Rupaspur, District - Patna** while holding the post of **ADM, Begusarai** and serving in different capacities in the State of Bihar, committed an offence under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter was investigated in Vigilance Investigation Bureau, Bihar Case No. **60/2018** dated **29.12.2018**.

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is prima facie case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said **Sri Om Prakash Prasad, the then ADM, Begusarai**, who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means.

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Courts Established under sub-section (1) of Section 3 of Bihar Special Courts Act, 2009;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Bihar Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare

that the said offence shall be dealt with under the provisions of Special Courts Act, 2009.

By the order of the Governor of Bihar,
Sd./-Illegible, Additional Chief Secretary.

**गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)**

अधिसूचनाएं

14 दिसम्बर 2021

सं० 1/एल1-10-09/2021-गृ०आ०-10146—श्री अमितेश कुमार, भा०पु०से० (2016), पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 16.12.2021 से 29.12.2021 तक कुल 14 (चौदह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री कुमार के उक्त अवकाश अवधि में उनके कार्यों के अतिरिक्त प्रभार में श्री राजेन्द्र कुमार भील, भा०पु०से० (2011), समादेष्टा, बिहार स्वाभिमान विशेष सशस्त्र पुलिस, वाल्मिकीनगर, बगहा रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० सेंथिल कुमार, सचिव।

17 नवम्बर 2021

सं० 1/एल1-10-01/2019-गृ०आ०-9109—श्री अम्बरीष राहुल, भा०पु०से० (2017), नगर पुलिस अधीक्षक, मध्य, पटना को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 19.11.2021 से 01.12.2021 तक 13 (तेरह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री राहुल के उक्त अवकाश अवधि में नगर पुलिस अधीक्षक, मध्य, पटना के अतिरिक्त प्रभार में श्री जितेन्द्र कुमार, भा०पु०से० (2015) नगर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी), पटना रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० सेंथिल कुमार, सचिव।

14 दिसम्बर 2021

सं० 1/एल1-10-02/2007-गृ०आ०-10144—श्रीमती के० सुहिता अनुपम, भा०पु०से० (1998), पुलिस महानिरीक्षक (आधुनिकीकरण), बिहार, पटना को दिनांक 02.10.2021 से 13.10.2021 तक स्वीकृत आकस्मिक/अनुमति/प्रतिबंधित अवकाश को रद्द करते हुए अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 02.10.2021 से 31.10.2021 तक कुल 30 (तीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० सेंथिल कुमार, सचिव।

3 दिसम्बर 2021

सं० 1/एल1-10-02/2012-गृ०आ०-9793—श्री नैयर हसनैन खान, भा०पु०से० (1996), अपर पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध इकाई एवं विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 23.12.2021 से 07.01.2022 तक कुल 16 (सोलह) दिनों के उपार्जित अवकाश एवं दिनांक 08.01.2022 से 09.01.2022 (शनिवार/रविवार) तक 02 (दो) दिनों का Suffix सहित की स्वीकृति प्रदान करते हुए दिनांक 22.12.2021 के अपराहन से मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. श्री खान के उक्त अवकाश अवधि में उनके द्वारा धारित पदों के अतिरिक्त प्रभार में श्री सुनील कुमार, भा०पु०से० (1996) अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा, बिहार, पटना रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० सेंथिल कुमार, सचिव।

14 दिसम्बर 2021

सं० 1/एल1-10-05/2011-गृ०आ०-10145—श्री विकास वैभव, भा०पु०से० (2003), विशेष सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत आवश्यक कार्य हेतु दिनांक 23.12.2021 से 03.01.2022 तक कुल 12 (बारह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करते हुए मुख्यालय से बाहर जाने की अनुमति दी जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० सेंथिल कुमार, सचिव।

7 दिसम्बर 2021

सं० 1/एल1-10-05/2015-गृ०आ०-9913—श्री विनय कुमार, भा०पु०से० (2004), पुलिस उप-महानिरीक्षक, विशेष कार्य बल, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत अतिआवश्यक कार्य हेतु दिनांक 29.11.2021 से 17.12.2021 तक कुल 19 (उन्नीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री कुमार के उक्त अवकाश अवधि में उनके कार्यों के अतिरिक्त प्रभार में श्री नवल किशोर सिंह, भा०पु०से० (2005), पुलिस उप-महानिरीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० सैथिल कुमार, सचिव।

25 नवम्बर 2021

सं० 1/एल०१-10-05/2020-गृ०आ०-9421—श्री आर० एस० भट्टी, भा०पु०से० (1990), तत्कालीन महानिदेशक, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, पटना सम्प्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर (अपर पुलिस महानिदेशक, बी०एस०एफ०) को अधिसूचना सं०-7616, दिनांक 14.09.210 द्वारा स्वीकृत दिनांक 15.09.2010 से 13.03.2011 तक कुल 180 दिनों के उपभोगित उपार्जित अवकाश को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-19(1) के तहत उक्त अवधि को अर्द्धवैतनिक अवकाश में परिवर्तित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० सैथिल कुमार, सचिव।

14 दिसम्बर 2021

सं० 1/एल1-10-06/2021-गृ०आ०-10147—श्री राजीव रंजन नं०-2, भा०पु०से० (2012), पुलिस अधीक्षक (अभियान), विशेष कार्य बल, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत चिकित्सीय आधार पर दिनांक 07.11.2021 से 21.12.2021 तक कुल 45 (पैंतालिस) दिनों के उपार्जित अवकाश विस्तार की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री राजीव रंजन नं०-2 के उक्त अवकाश अवधि में उनके कार्यों के अतिरिक्त प्रभार में श्री निलेश कुमार, भा०पु०से० (2010), पुलिस अधीक्षक (प्रशिक्षण), विशेष कार्य बल, बिहार, पटना रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० सैथिल कुमार, सचिव।

3 दिसम्बर 2021

सं० 1/एल1-10-15/2019-गृ०आ०-9795—जॉ० निर्मल कुमार आजाद, भा०पु०से० (1994), अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 15.12.2021 से 09.01.2022 तक कुल 26 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त अवधि में निजी खर्च पर USA की विदेश यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. श्री आजाद के उक्त अवकाश अवधि में उनके द्वारा धारित पद के अतिरिक्त प्रभार में पुलिस उप-महानिरीक्षक, रेलवे, बिहार, पटना रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० सैथिल कुमार, सचिव।

3 दिसम्बर 2021

सं० 1/एल1-10-19/2017-गृ०आ०-9794—श्री नीलेश कुमार, भा०पु०से० (2010), पुलिस अधीक्षक (प्रशिक्षण), विशेष कार्य बल, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत अपने पुत्र के ईलाज के लिए दिल्ली जाने हेतु दिनांक 23.11.2021 से 26.11.2021 तक कुल 04 (चार) दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री कुमार के उक्त अवकाश अवधि में उनके कार्यों के अतिरिक्त प्रभार में श्री विनय कुमार, भा०पु०से० (2004), पुलिस उप-महानिरीक्षक, विशेष कार्य बल, बिहार, पटना को रखे जाने की घटनोत्तर अनुमति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० सैथिल कुमार, सचिव।

6 दिसम्बर 2021

सं० 1/पी०४-०१/2020 गृ०आ०-9879—श्री विनय कुमार, भा०पु०से० (1991) को अपर पुलिस महानिदेशक कोटि से पुलिस महानिदेशक कोटि [वेतन संरचना का वेतन स्तर-16 (रु० 2,05,400— 2,24,400/—)] में प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

2. प्रोन्नति का आर्थिक लाभ प्रोन्नत पद पर पदस्थापन की अधिसूचना निर्गत होने के पश्चात्, प्रभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
के० सैथिल कुमार, सचिव।

7 दिसम्बर 2021

सं० 1/पी०4-02/2020 गृ०आ०-9915—श्री स्वर्ण प्रभात, भा०पु०से० (2017) को वरीय समय वेतनमान [वेतन संरचना का वेतन स्तर-11 (रु० 67,700 – 2,08,700/-)] में दिनांक 01.01.2021 के प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

2. इस प्रोन्नति के फलस्वरूप श्री स्वर्ण प्रभात का वर्तमान पदस्थापन प्रभावित नहीं होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
के० सैथिल कुमार, सचिव।

6 दिसम्बर 2021

सं० 1/पी०4-07/2019, गृ०आ०-9852—केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित श्री सुधांशु कुमार, भा०पु०से० (1996) को अपर पुलिस महानिदेशक कोटि में उनसे कनीय श्री नैयर हसनैन खान, भा०पु०से० (1996) की सापेक्षता में दिनांक 13.01.2021 के प्रभाव से गृह मंत्रालय, भारत सरकार से अपेक्षित परामर्श के अध्यक्षीन प्रोफार्मा प्रोन्नति विभागीय अधिसूचना संख्या-767 दिनांक 28.01.2021 द्वारा प्रदान की गयी है।

2. श्री कुमार को प्रदत्त उक्त प्रोफार्मा प्रोन्नति की सापेक्षता एवं तिथि में संशोधन करते हुए कनीय डा० कमल किशोर सिंह, भा०पु०से० (1996) की सापेक्षता में दिनांक 01.01.2021 के प्रभाव से उक्त प्रोन्नति अनुमान्य की जाती है। पूर्व की अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
के० सैथिल कुमार, सचिव।

7 दिसम्बर 2021

सं० 1/पी०5-1010/2003 खंड-I गृ०आ०-9914—श्री सुनील कुमार, भा०पु०से० (संशोधित बैच 2004) को दिनांक 13.09.2020 के प्रभाव से भारतीय पुलिस सेवा की प्रवर कोटि वेतनमान [वेतन संरचना का वेतन स्तर-13 (रु० 1,23,100 – 2,15,900/-)] में प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

2. इस प्रोन्नति के फलस्वरूप श्री कुमार का वर्तमान पदस्थापन प्रभावित नहीं होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
के० सैथिल कुमार, सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 36—571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश,
अधिसूचनाएं और नियम आदि।

जल संसाधन विभाग

शुद्धि-पत्र

21 दिसम्बर 2021

सं० सं०-7/ए०-01-1001/20-1563--विभागीय अधिसूचना संख्या-960 दिनांक-22.09.2020 के द्वारा सहायक अभियंता (यॉत्रिक) की सीधी नियुक्ति जल संसाधन विभाग में की गई थी। उक्त अधिसूचना के क्रमांक-03 पर चिराग गौर एवं क्रमांक-54 पर प्रियंस नन्दन कुमार अंकित है।

विभागीय अधिसूचना संख्या-960 दिनांक-22.09.2020 के क्रमांक-3 पर अंकित “चिराग गौर” के स्थान पर “चिराग गौड़” एवं “प्रियंस नन्दन कुमार” के स्थान पर “प्रियेस नन्दन कुमार” पढ़ा जाय।

उक्त अधिसूचना में शेष प्रविष्टियाँ यथावत रहेंगी।

आदेश से,

चन्दन कुमार मिश्र, अवर सचिव (प्रबंधन)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 36—571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण
सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

No. 1208---I Priyanka Dubey Spouse of Shyam Kumar singh, Flat no. 602 basanti Apartment, Arya Samaj Mandir Road, Lane no - 9, R.P.S More, P.S : - Danapur, Dist: - Patna Have Changed My Sirname Priyanka Dubey to Priyanka Singh after Marriage Vide Affidavit no . 12747 Dates 21.08.21 before notary public Danapur .

Priyanka Dubey.

No. 1237---I, HARSH AJAY S/o Ajay Singh R/o 103, Karpura Pratibha Palace, Road no.2 Nehru Nagar, Patna-13 have changed my name from Harsh Ajay to Harsh ajay Singh. Affi. no. 382 dated 08/07/2021.

HARSH AJAY.

No. 1238---I, YASH AJAY S/o Ajay Singh R/o 103, Karpura Pratibha Palace, Road no.2 Nehru Nagar, Patna-13 have changed my name from Yash Ajay to Yash Ajay Singh. Affi. no. 381 dated 08/07/2021.

YASH AJAY.

No. 1241---I RASHMI Sharma D/o Mahendra Prasad W/o VijayAnand SharmaR/o401, Saboo Com, Exhibition Rd, Patna.Declare vide affi.no.386 dt.24.12.2020 shall be known as Kumari Rashmi.Also mention in my all documents.

RASHMI Sharma.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 36—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार गजट

का

पूरक (अ०)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं० प्र०-०१-रा०(आ०)-०३ / 2021-3690 / एम०
खान एवं भूतत्व विभाग

संकल्प

8 दिसम्बर 2021

गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना के पत्रांक 3966 दिनांक 09.07.2021 से प्राप्त आर्थिक अपराध इकाई के जांच प्रतिवेदन (पत्रांक 184/गो० दिनांक 09.07.2021) के अनुसार श्री प्रमोद कुमार, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, भोजपुर (सम्प्रति निलंबित) के विरुद्ध अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर, बालू के अवैध उत्खनन/परिवहन में संलग्न लोगों को मदद पहुँचाने एवं भ्रष्टाचार में संलिप्त पाये गये हैं।

2. आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना के जांच प्रतिवेदन के आलोक में श्रीकुमार के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक 3197 दिनांक 25.10.2021 से लिखित अभिकथन की माँग की गयी। श्री कुमार द्वारा दिनांक 03.11.2021 को अपना लिखित अभिकथन उपलब्ध कराया गया।

3. उनके लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरांत पाया गया कि आर्थिक अपराध इकाई द्वारा मोबाईल नम्बरों का अनुश्रवण/सी०डी०आर० विश्लेषण, स्थानीय एवं स्थलीय जाँच तथा आसूचना के आधार पर श्री कुमार के अवैध उत्खनन/परिवहन में संलिप्त व्यक्तियों को मदद पहुँचाने एवं स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का साक्ष्य पाया गया है। अतः श्री कुमार का स्पष्टीकरण स्वीकार करने योग्य नहीं पाया गया।

4. अतएव श्री कुमार का स्पष्टीकरण अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वगीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) के प्रावधानों के तहत आरोपों की वृहद जाँच हेतु विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना तथा प्रस्तुतीकरण/उपस्थापन पदाधिकारी, श्री चित्रगुप्त कुमार, उप सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग होंगे।

5. श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना बचाव बयान/पक्ष संचालन पदाधिकारी के समक्ष रखेंगे एवं जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इस की प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

आदेश से,

चित्रगुप्त कुमार, उप-सचिव।

सं० 1/एम०2-60-41/2021 गृ०आ०-9699

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

संकल्प

1 दिसम्बर 2021

चूँकि श्री मो० शफीउल हक, भा०पु०से० (2007) तत्कालीन पुलिस उप-महानिरीक्षक मुंगेर क्षेत्र, मुंगेर सम्प्रति बिहार पुलिस मुख्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में, के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जाँच बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना से करायी गयी।

और चूँकि आर्थिक अपराध इकाई के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरांत यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ कि श्री हक द्वारा सहायक अवर पुलिस निरीक्षक, मो० उमरान एवं एक निजी व्यक्ति के माध्यम से मुंगेर क्षेत्रान्तर्गत अधिसंख्य कनीय पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों से अवैध राशि की उगाही का कार्य कराया जा रहा था। जाँच के क्रम में यह भी प्रथम

दृष्ट्या प्रमाणित हुआ कि वसूली करने वाले सहायक पुलिस अवर निरीक्षक श्री मो० उमरान के गलत कृत्य संज्ञान में होने के बावजूद उनके विरुद्ध कोई निरोधात्मक कार्रवाई नहीं करना इस पूरे घटनाक्रम में श्री हक की सहभागिता को परिलक्षित करता है तथा उन्हें भ्रष्टाचार के पोषक के रूप में स्थापित करता है।

और चूँकि श्री हक के उपरोक्त संदिग्ध आचरण एवं संबंधित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 8 के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया और इसके निमित्त विभागीय ज्ञापन सं० 8825, दिनांक 03.11.2021 के माध्यम से 'आर्टिकल्स ऑफ चार्ज', 'स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेन्स ऑफ मिसबिहेवियर एण्ड मिसकण्डक्ट' एवं साक्ष्य/गवाह सूची सहित निर्गत की गयी।

2. अतः राज्य सरकार द्वारा उक्त आरोपों की गंभीरता एवं प्रकृति पर सम्यक विचारोपरांत अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 3(1)(a) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मो० शफीउल हक, भा०पु०से० (2007) को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन की अवधि में श्री मो० शफीउल हक, भा०पु०से० (2007) का मुख्यालय पुलिस महानिरीक्षक, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना का कार्यालय होगा।

4. निलंबन अवधि में श्री मो० शफीउल हक, भा०पु०से० (2007) को अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 4(1) के अधीन मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० सैथिल कुमार, सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 36—571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>